छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2020

क्रमांक एफ 1–42/2020/सत्रह/एक:::: राज्य शासन, एतद्द्वारा, माह जून 2020 में 06 चिकित्सा स्नातक (एम.बी.बी.एस.) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने उपरांत इंटर्नशिप पूर्ण कर चुके चिकित्सकों (अनुबंधित), जो चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियमानुसार दो वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा करने हेतु बाध्य है, को निष्पादित अनुबंध अनुसार 02 वर्ष की संविदा सेवा का अवसर प्रदान प्रदान करते हुए उन्हें नीचे दर्शायी गई शर्तो पर तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :–

क्र.	छात्र का नाम	पता	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1	डॉ. मयंक प्रताप सिंह	412/के आर्यवर्त भवन, चंगोरा भाटा, रायपुर, छ.ग.	जिला चिकित्सालय सुकमा
2	डॉ. रिषभ कोचर	क्वा.नं.व्ही./19 ग्रेस्ट हाउस के पास किरंदुल, जिला दंतेवाडा, छ.ग.	जिला चिकित्सालय दंतेवाडा
3	डॉ. राज सिंह चौहान	शिव मंदिर, विकास नगर 27 खोली, बिलासपुर, छ.ग.	जिला चिकित्सालय सूरजपुर
4	डॉ. यश जजोदिया	हाउस नं. 80, वार्ड नं.19 जुलीसाईन, बिलासपुर छ.ग.	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव
5	डॉ. मिथलेश कुमार देवांगन	वार्ड नं. 13, गडिदाई पारा, राहोद, तह. पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा छ.ग.	जिला चिकित्सालय जशपुर
6	डॉ. अभिनव अग्रवाल	नया रावण भाटा, दशहरा मैदान के पास, वार्ड नं. 21, महासमुंद छ.ग.	जिला चिकित्सालय नारायणपुर

संविदा नियुक्ति की शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।
2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति की गई है।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–11 (5) लागू नहीं होगी।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की (अन्य शर्ते) लागू होगी।
5. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व प्रावधान अनुसार अन्य राशि देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
6. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 201/एफ 2017–17–01012/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के अनुसार प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय होगा :–

निरंतर........2

- **चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी, एस,योग्यता धारी) संविदा नियुक्त को एक मुश्त देय राशि का विवरण इस प्रकार है** :– सामान्य क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 45,000/–एवं अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 55,000/– देय होगी।

7. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
9. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
11. उपस्थिति के 15 दिवस के अंदर जिले के मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. पदस्थापना आदेश जारी उपरांत पदांकन स्थल में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
13. नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के उपरांत पदस्थपना स्थान में संशोधन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी चिकित्सा अधिकारी पदस्थरपना स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।
14. संबंधित अनुबंधित छात्र चिकित्सक द्वारा पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की संविदा सेवा अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है।
15. संबंधित अनुबंधित छात्र चिकित्सक द्वारा आदेश के पालन में निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने या कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत दो वर्ष का सेवा–काल पूर्ण नहीं करने अथवा कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की स्थिति में संबंधित द्वारा निष्पादित अनुबंध की राशि की वसूली भू–राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी। साथ ही मेडिकल कौंसिल से पंजीयन रद्द करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र सिंह गौर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निरंतर.......3

पृ0क्रमांक एफ 1–42/2020/सत्रह/एक नवा रायपुर, दिनांक 10 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़, डी.के.एस. भवन, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला सुकमा/दंतेवाड़ा/सूरजपुर/कोण्डागांव/जशपुर/नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बिलासपुर/रायपुर/बस्तर/सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सुकमा/दंतेवाड़ा/सूरजपुर/कोण्डागांव/जशपुर/नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सुकमा/दंतेवाड़ा/सूरजपुर/कोण्डागांव/जशपुर/नारायणपुर, छत्तीसगढ़।
11. कोषालय अधिकारी, जिला सुकमा/दंतेवाड़ा/सूरजपुर/कोण्डागांव/जशपुर/नारायणपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12. संबंधित छात्र/चिकित्सकों ....की ओर पालनार्थ।
13. कार्यालयीन प्रति।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग